संख्या-1343/2025/1742/22-2-2025-17(970)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 12 नवम्बर, 2025

विषय:- जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजीव पुत्र श्री अवधेश श्रीवास्तव, निवासी जनपद-चित्रकूट की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-31281/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-21.07.2025, दिनांक 05.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राजीव पुत्र श्री अवधेश श्रीवास्तव, परसौजा, थाना-पहाड़ी, जनपद-चित्रकूट का निवासी है। दिनांक 10.05.2003 को विद्यासागर तथा राजबहादुर के बीच लाठी छू जाने के कारण कहासुनी व गाली गलौज हुई जिस पर राजबहादुर तथा राजीव तमंचा व लाठी से विद्यासागर को मारने लगे साथ में उपस्थित रेवती रमन उर्फ कोठारी द्वारा बीच-बचाव का प्रयास किया गया जिस पर राजबहादुर द्वारा देशी तमंचा से फायर कर दिया, जिससे रेवती रमन उर्फ कोठारी को गोली लगने से मौके पर मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-125/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 323/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०, चित्रकूट के दण्डादेश दिनांक 29.10.2004 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 30.05.2019 एवं मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 28.06.2021 द्वारा बन्दी की अपील को निर्णीत करते हुए मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.04.2025 तक अपरिहार 05 वर्ष **10** माह 20 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष, 04 माह, 11 दिन की सजा काटी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अन्य अपराधियों को संगठित करके अपराध कारित करने से इंकार नहीं होने, समयपूर्व रिहाई के उपरान्त में अपराध में लिप्त हो सकने, समयपूर्व रिहाई से पुन: गंभीर घटना घटित होने से इंकार नहीं किये जाने एवं शांति व्यवस्था भंग होने, समयपूर्व रिहाई के लिए बंदी के परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 25.04.2025 तक अपरिहार 05 वर्ष, 10 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष, 04 माह, 11 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजीव (बन्दी संख्या-119/2019) पुत्र श्री अवधेश श्रीवास्तव, निवासी जनपद-चित्रकूट की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1343/2025/1742(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, चित्रकूट।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।